[2019] 8 एस. सी. आर 728

पार्सा केंट कोलियरीज लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य विद्युत केन्द्र निगम लिमिटेड

(2018 की सिविल अपील संख्या 9023)

27 मई, 2019

[अरुण मिश्रा और एम. आर. शाह, जेजे ।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 37 - पुरस्कार पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत अपील मध्यस्थ द्वारा पारित- कोयले की आपूर्ति के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच कोयला खनन और वितरण समझौता पक्षकारों के बीच, वृद्धि मूल्य, निश्चित लागत, एस्क्रो खाते में पड़ी राशि और रेलवे साइडिंग के निर्माण की लागत के संबंध में विवाद- मूल्य समायोजन ' ,' निश्चित लागत ' और' एस्क्रो खाते ' के शीर्ष के तहत दावों की अनुमति देने वाले मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय, हालांकि,' रेलवे साइडिंग का निर्माण ' शीर्षक के तहत खारिज कर दिया गया- वाणिज्यिक अदालत द्वारा पुष्टि किया गया पुरस्कार, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः के संबंध में दावा नहीं। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि, मध्यस्थ द्वारा व्याख्या दोनों संभव और साथ ही प्रशंसनीय थी- केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, उच्च न्यायालय को व्याख्या में हस्तक्षेप करने में उचित नहीं ठहराया गया था- हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ द्वारा न के दावे के संबंध में पारित निर्णय। 1 सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, लेकिन सार्वजनिक नीति का कोई तत्व नहीं था- उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया दावे के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना नहीं। 1 – दावे के संबंध में नहीं। 2 - निश्चित लागत, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को सही ढंग से रद्द कर दिया- सिवाय सीए के प्रमाण पत्र, वास्तविक नुकसान के संबंध में कोई और सबूत नहीं दिया गया था- इसके विपरीत, संबंधित वर्ष में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए कोयले की मात्रा निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक थी- जहां तक संबंध है, दावा नहीं। 3 - एस्क्रो खाता, का उद्देश्य और उद्देश्य एस्क्रो खाता खोलना यह देखने के लिए था कि अपीलकर्ता कंपनी समझौते के अनुसार और कोयला ब्लॉकों के बंद होने तक अनुबंध को पूरा करती है- अपीलकर्ता के लिए एस्क्रो खाते में पड़ी राशि का दावा करना खुला नहीं था, अन्यथा एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य निराश होगा- इस प्रकार, दावे के संबंध में नहीं। **3** 728 पी. ए. आर. एस. ए. केंट कोलियरीज लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य विद्युत उत्थापन निगम लिमिटेड।

बचाव खाते में, उच्च न्यायालय ने सही माना कि तर्क विकृत है या इतना तर्कहीन कि कोई भी उचित व्यक्ति अभिलेख पर सामग्री/ साक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता था- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दावा संख्या के संबंध में पारित आदेश। 1 पुरस्कार को अलग कर दिया जाता है और मध्यस्थ द्वारा न के दावे के संबंध में पारित किया जाता है। 1 पुनःस्थापित किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में न के दावे के संबंध में पुरस्कार को रद्द कर दिया जाता है। 2 - निश्चित लागत और दावा सं। 3 - एस्क्रो खाता बरकरार रखा जाता है। आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. 1 जहाँ तक कीमत [2019] 8 एस. सी. आर. के संबंध में दावा है ।समायोजन/ वृद्धि " का संबंध है, मध्यस्थ ने

अभिनिर्धारित किया कि उद्देश्यों के लिए पहले परिचालन वर्ष के प्रारंभ की तारीख खंड 5. 2। 2 5. 4 के साथ पढ़ें। 3 यह 25. 06. 2011 होगा और इसलिए मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से शून्य वर्ष 2011- 12 होना चाहिए।

तदनुसार, मध्यस्थ ने एफ. वाई. 2013- 14 में बढ़ी हुई कीमत Rs. 895/ - प्रति एम. टी. पर विचार किया। हालाँकि, प्रतिवादी के अनुसार, चूंकि प्रारंभ की तारीख को 25. 06. 2011 से 25. 03. 2013 में बदल दिया गया था, इसलिए मूल्य के उद्देश्य के लिए शून्य वर्ष था। वृद्धि 2013- 14 होगी। अनुबंध/ समझौते के तहत ही मूल्य वृद्धि की अनुमति है और समझौते में उल्लिखित सूत्रों के अनुसार हर साल मूल्य वृद्धि होगी ।प्रारंभ होने की तारीख से। हालाँकि, यह सच है कि प्रारंभ की प्रारंभिक तिथि, यानी 25. 06. 2011 को आपसी समझौते द्वारा 25. 03. 2013 तक बढ़ाया गया था। हालाँकि, ऐसा ही एक आकस्मिक घटना के कारण हुआ क्योंकि वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में 21 महीने की देरी हुई थी। यह कीमत वर्ष 2007- 08 में उद्धृत की गई थी, जो 2011 से लागू है। हालांकि, वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी हुई और इसलिए तारीख आपूर्ति की शुरुआत बदल गई। बीच- बीच में श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क आदि में वृद्धि होगी। हालाँकि आपूर्ति शुरू होने की तारीख बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसके संबंधित खंडों में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया था। मूल्य वृद्धि के संबंध में समझौता। ऐसा कोई विशिष्ट समझौता नहीं था कि वर्ष 2013 में, अपीलकर्ता बिना किसी मूल्य वृद्धि के समान मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करेगा। इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और ठोस कारण देते हुए, मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या की और विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड 5 के प्रयोजनों के लिए प्रथम परिचालन वर्ष का प्रारंभ। 2 5. 4 के साथ पढ़ें। 3 यह 25. 06. 2011 होगा और तदनुसार मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से शून्य वर्ष 2011 होगा। 12 और इसलिए अपीलार्थी संवर्धित का हकदार होगा राशि जो वर्ष 2013- 14 (मूल्य वृद्धि) में लागू होती है। मध्यस्थ द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद, मध्यस्थ द्वारा व्याख्या दोनों संभव थी और साथ ही प्रशंसनीय है। इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, उच्च न्यायालय मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दावा संख्या के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि। यद्यपि उच्च न्यायालय ने कहा है कि विद्वत मध्यस्थ द्वारा न के दावे के संबंध में पारित निर्णय। 1 सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, सम्मान के साथ, सार्वजनिक नीति का कोई तत्व नहीं है। यह प्रासंगिक खंडों की व्याख्या का शुद्ध और सरल मामला था। ऐसा समझौता जिसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल न हो। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने और रद्द करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश दावा सं. के संबंध में मध्यस्थ। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करके अलग रखा जाना चाहिए। [पैरा 11. 1] [743- डी- एच; 744- ए- एफ] 1. 2 जहाँ तक दावा नहीं है। 2- " निश्चित लागत " और मध्यस्थ द्वारा मुआवजे के संबंध में दी गई Rs. 78 करोड़ की राशि हानि का संबंध है, अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने न के दावे के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को सही ढंग से रद्द कर दिया है। 2 . सी. ए को छोड़कर प्रमाण पत्र, वास्तविक नुकसान के संबंध में कोई और सबूत नहीं दिया गया था। अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इसके विपरीत यह पाया गया है कि संबंधित वर्ष में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए कोयले की मात्रा निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक थी। इस प्रकार, न के दावे के संबंध में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय। 2 अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत था और इस प्रकार, उचित रूप से अलग रखा गया है उच्च न्यायालय द्वारा। [पैरा 11. 2] [743- जी-

एच; 744- बी] 1. 3 जहां तक दावे की बात है तो नं. 3- " एस्क्रो अकाउंट ", उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ पी. ए. आर. एस. ए. के. एन. टी. ई. एल. आई. ई. आर. आई. ई. एल. टी. द्वारा पारित निर्णय में उचित रूप से हस्तक्षेप किया। वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड।

एस्क्रो खाते में जमा किए गए कोयले के प्रेषण के लिए जुटाए गए संयुक्त उद्यम कंपनी- पी. के. सी. एल. के कोयला बिलों के तत्काल अगले भुगतान से प्रतिवादी द्वारा वसूली की जाएगी। अपीलार्थी के कोयला खंडों से। इस प्रकार, इसके बाद अपीलार्थी के लिए एस्क्रो खाते में पड़ी राशि का दावा करने की गुंजाइश नहीं थी। यदि एस्क्रो खाते में रखी राशि अपीलार्थी को वापस कर दी जाती है, तो एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य जो कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार था, विफल हो जाएगा। एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य यह देखना था कि अपीलकर्ता कंपनी समझौते के अनुसार और कोयला ब्लॉकों के बंद होने तक अनुबंध को पूरा करती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने द्वारा पारित पुरस्कार में उचित रूप से हस्तक्षेप किया दावा सं. के संबंध में मध्यस्थ। 3 - यह देखते हुए कि तर्क विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई उचित नहीं है व्यक्ति अभिलेख पर सामग्री/ साक्ष्य पर पहुँच सकता था।[पैरा 11. 3] [744- बी- एफ]

1. 4 एकल मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने और रद्द करने के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश, जहां तक दावा सं। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और मध्यस्थ द्वारा न के दावे के संबंध में निर्णय पारित किया जाता है। 1 पुनर्स्थापित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश जहाँ तक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द करने और बाकी दावे के संबंध में रद्द करने का संबंध है। 2 - निश्चित लागत और दावा सं। 3 - एस्क्रो खाते की पुष्टि हो गई है। [पैरा 12] [744- जी- एच; 745- ए- बी] **एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण** (2015) 3 एस. सी. सी. 49; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनाम। गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब लिमिटेड (2009) 10 एस. सी. सी. 63:

 [2009] 14 एस. सी. आर. 253; सांगयोंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 677; ओ. एन. जी. सी. वी. सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3 एससीआर 691 ; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। मित्रों कोयला कार्बनीकरण (2006) 4 एस. सी. सी. 445; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. वी. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 181: [2006] 2 पूरक। एससीआर 409; राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन (2012) 5 एस. सी. सी. 306 [2012] 4 एस. सी. आर. 1; राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण बनाम। आई. टी. डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड इंडिया लिमिटेड बनाम। गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब लिमिटेड (2009) 10 एससीसी 63: [2009] 14 एस. सी. आर. 253- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ (2015) 3 एससीसी 49 संदर्भित किया गया है पैरा 5. 3 [2009] 14 एससीआर 253 पैरा 5. 3 संदर्भित किया गया है [2003] 3 एससीआर 691 संदर्भित किया गया है पैरा 6. 1 (2006) 4 एस. सी. सी. 445 पैरा 6. 1 संदर्भित किया गया है [2006] 2 पूरक। एससीआर 409 संदर्भित किया गया है पैरा 9. 1 [2012] 4 एससीआर 1 पैरा 9. 1 संदर्भित किया गया है [2015] 6 एससीआर 107 संदर्भित

किया गया है पैरा 9. 2 [2009] 14 एससीआर 253 संदर्भित किया गया है पैरा 9. 2 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2018 से। उच्च के 28. 02. 2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से (2017 की डी. बी. सिविल एम. अपील सं. 3785 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका। **रंजीत कुमार**, विक्रम नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश आगर अनूप सिंह, सलिल सिन्हा, अंशुमन श्रीवास्तव, ऋषि राज शर्म सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, कार्तिक सेठ, अंकुर एस. कुल्क निशांत कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। पी. ए. आर. एस. ए. केंट कोलियरीज लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। **न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था**

एम. आर. शाह, जे. 1. वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28. 02. 2018 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना / **राजस्थान के लिए उच्च न्याया**लय की खंडपीठ, 2017 की डी. बी. सिविल विविध अपील संख्या 3785 में जयपुर की पीठ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है।

2. मार्च, 2006 के महीने में, प्रत्यर्थी ने कोयला ब्लॉक के विकास, खनन और कोयले के परिवहन और वितरण के लिए संयुक्त उद्यम के लिए एक निविदा जारी की। उस अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने एक बोली प्रस्तुत की जिसे 12. 05. 2006 पर स्वीकार कर लिया गया। प्रतिवादी द्वारा 23. 10. 2006 पर ए. ई. एल. को एक आशय पत्र जारी किया गया था। प्रत्यर्थी और ए. ई. एल. ने एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया, जिसका नाम है पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड, जो इसमें अपीलकर्ता है। उक्त पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड और एईएल के बीच एक कोयला खनन सेवा समझौता किया गया था। कि कोयले की आपूर्ति के लिए 16. 07. 2008 पर अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच एक कोयला खनन और वितरण समझौता (जिसे इसके बाद ' CMDA' के रूप में संदर्भित किया गया है) निष्पादित किया गया था। 2. 1 सी. एम. डी. ए. के अनुसार, अनुबंध शुरू होने की तारीख 25. 06. 2011 थी। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच सी. एम. डी. ए. के अनुसार, कोयले की आपूर्ति 42 महीनों के भीतर, या कोयला ब्लॉकों के आवंटन की तारीख से 48 महीनों के भीतर, यानी 25. 06. 2011 तक शुरू होनी थी। सी. एम. डी. ए. ने शुरुआत की तारीख बढ़ाने के लिए एक खंड भी प्रदान किया। खंड 3. 2. 1 सी. एम. डी. ए. ने कार्य के दायरे के लिए प्रावधान किया; खंड 4। 3 4. 1 और। 4 प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी के लिए प्रदान किया गया कोयले की आवश्यकता के संबंध में अपीलार्थी को पहले से सूचित करना। खंड 4. 5 तारीख के प्रारंभ के लिए उपबंध करता है; खंड 5. 1 मूल्य अनुबंध के लिए उपबंध करता है; खंड 5. 2। 2 . मूल मूल्य की गणना के लिए उपबंध; खंड 5. 4। 3 मूल्य में वृद्धि के लिए उपबंध; खंड 7. 1 के लिए उपबंध बल आकस्मिकता और खंड 7. 3 में बल आकस्मिकता के प्रभाव का प्रावधान किया गया है। वन मंजूरी प्राप्त करने में 21 महीने की देरी हुई और पर्यावरण मंजूरी। अपीलार्थी ने [2019] 8 एस. सी. आर. को कोयले की आपूर्ति शुरू की। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 21 महीने की देरी के बाद 25. 3. 2013 से प्रभावी उत्तरदाता। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ की तारीख आपसी समझौते द्वारा 25. 6. 2011 से 25. 3. 2013 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए, विशेष रूप से वृद्धि मूल्य, निश्चित लागत, एस्क्रो खाते में पड़ी राशि और रेलवे के निर्माण की लागत।**साइडिंग**। इसलिए, अपीलार्थी ने सी. एम. डी. ए. के खंड 10. 2 का आह्वान किया और मध्यस्थता की मांग की। राजस्थान उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने दावे का बयान प्रस्तुत किया और उसके

बाद दावे का एक और बयान दायर किया। ' मूल्य समायोजन' शीर्ष के तहत दावा, विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम परिचालन वर्ष के प्रारंभ की तारीख खंड 5. 2 के प्रयोजन। 2 5. 4 के साथ पढ़ें। 3 यह 25. 06. 2011 होगा। विद्वान मध्यस्थ ने आगे कहा कि इस प्रकार शून्य वर्ष के उद्देश्य के लिए मूल्य वृद्धि 2011- 2012 होनी चाहिए। विद्वान मध्यस्थ ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से समझौते के प्रारंभ की तारीख 25. 06. 2011 है, इसलिए अपीलार्थी का अधिकार होगा।

बढ़ी हुई राशि के लिए जो 2013- 2014 में लागू होती है। तदनुसार, विद्वत मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वित्त वर्ष में Rs. 837/ - पीएमटी पर कोयले की कीमत का हकदार है और उसके बाद अनुबंध के प्रासंगिक खंडों- सीएमडीए के अनुसार बाद के वर्षों में बढ़ी हुई कीमत का हकदार है। 2. 3 ' निश्चित लागत' के संबंध में दावे को स्वीकार करते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने कहा कि प्रतिवादी अपीलार्थी से कोयले की आवश्यक डिलीवरी नहीं ले सकता है, जिससे अपीलार्थी को नुकसान हो सकता है। विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि इसलिए अपीलार्थी का अधिकार है - मुआवजे के रूप में Rs. 78 करोड़ के लिए दावा किया गया। 2. 4 कि ' एस्क्रो खाते' के संबंध में दावे की अनुमति देते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने माना कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया वचन एक आकस्मिकता तक सीमित था जहां अपीलार्थी द्वारा खदान बंद करने की गतिविधि को पूरा करने में विफलता के कारण किसी भी खदान को जब्त कर लिया गया था। एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के मासिक चालू बिलों से उसी की वसूली करने का हकदार होगा। विद्वान मध्यस्थ ने हालांकि कहा कि ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है, पी. ए. आर. एस. ए. के. एन. टी. ई. एल. आई. ई. आर. आई. एल. टी. वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.] उक्त गणना पर किसी कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता है। नतीजतन, विद्वान मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी को उस राशि को वापस करने का निर्देश दिया जो एस्क्रो खाते में पड़ी थी जो अपीलार्थी के मासिक चालू बिलों से काट ली गई थी। 2. 5 जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विद्वान मध्यस्थ ने दावा नं. 4 , अर्थात्, ' रेलवे साइडिंग का निर्माण' शीर्षक के तहत। द. विद्वान मध्यस्थ द्वारा घोषित पुरस्कार की पुष्टि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन में की गई। 3. व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय/ खंड पीठ के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की। असंतुष्ट द्वारा 28. 02. 2018 दिनांकित निर्णय और आदेश, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित और वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर द्वारा पुष्टि किए गए पुरस्कार को रद्द कर दिया है।

4. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, मूल दावेदार - अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए और श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। 5. 1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को सी. एम. डी. ए. को एक वैकल्पिक निर्माण देकर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत विद्वान एकमात्र मध्यस्थ और विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश पारित करके, उच्च

न्यायालय ने सीमा पार कर ली है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र में, जिसकी विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

5. 2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत, न्यायिक जाँच का दायरा संकीर्ण है और इसमें अनुबंध को अपना निर्माण देना शामिल नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निष्कर्षों को बाधित करके, उच्च न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत विचार की गई जांच के सीमित दायरे से परे चला गया है।

5. 3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह समझने में विफल रहा कि सी. एम. डी. ए. के खंडों पर विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या प्रशंसनीय निर्माण/ व्याख्या थी और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था। श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। **एसोसिएट बिल्डर्स बनाम के मामले। दिल्ली विका**स प्राधिकरण, (2015) 3 एस. सी. सी. 49 में सूचित; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनाम। गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एस. सी. सी. 63 में रिपोर्ट की गई और सांगयोंग के मामले में इस अदालत का हालिया निर्णय इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), 2019 की सिविल अपील संख्या 4779 में 08. 05. 2019 पर प्रस्तुत किया गया, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 677 में सूचित किया गया।

5. 3. 1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोयले की आपूर्ति में 21 महीने की देरी हुई थी, जो वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस कीमत पर सहमति हुई थी वर्ष 2011 में भुगतान किए जाने वाले वर्ष 2008 में अपीलार्थी वर्ष 2013- 14 में कभी भी समान नहीं रहेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि सी. एम. डी. ए. के अनुसार प्रारंभ की तारीख को बल प्रयोग के एक स्वीकृत तथ्य के कारण 25. 3. 2013 तक बढ़ा दिया गया था, प्रारंभ की तारीख सी. एम. डी. ए. के तहत परिभाषित तिथि के रूप में बनी रहेगी, यानी 25. 06. 2011 और इसलिए उस तारीख से मूल्य वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए।

5. 3. 2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आपसी समझौते से प्रारंभ की तारीख को बल दुर्घटना के एक स्वीकृत तथ्य के कारण 25. 03. 2013 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसी कीमत पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था जिसकी आपूर्ति वर्ष 2011 में की जानी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विशिष्ट खंड है- खंड 4. 5। 2 जो बल आकस्मिकता के मामलों में प्रारंभ तिथि के विस्तार की अनुमति देता है, हालांकि, खंड 5. 4 में ऐसा कोई संबंधित खंड प्रदान नहीं किया गया है। 3 , जो मूल्य वृद्धि के लिए एक खंड है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पार्टियों का इरादा कभी भी एकतरफा रूप से खंड पी. ए. आर. एस. ए. के. ई. एन. टी. ई. सी. एल. आई. ई. आर. आई. एल. में निर्दिष्ट पहले परिचालन वर्ष का विस्तार नहीं करना था।

5. 3. 3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में विद्वान मध्यस्थ द्वारा व्याख्या प्रशंसनीय थी और इस तरह न्यायसंगत भी थी। केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण संभव था, उच्च न्यायालय विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दर्ज की गई व्याख्याओं/ निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना और वह भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावे के संबंध में सी. एम. डी. ए. के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या नहीं। 1 यह वास्तव में सी. एम. डी. ए. के प्रासंगिक खंडों के अनुरूप था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में गलती की है, जिसकी पुष्टि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है। 5. 4 अब जहाँ तक दावा नहीं है। 2 श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सी. एम. डी. ए. के खंड 8. 2 (iii) पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी की ओर से चूक के कारण, प्रत्यर्थी वित्तीय वर्ष 2013- 14 के लिए कोयले की डिलीवरी लेने में असमर्थ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा चूक की एक घटना थी जैसा कि सी. एम. डी. ए. के खंड 8. 2 (iii) में विचार किया गया था।

5. 4. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी की निर्धारित वितरण अनुसूची के अनुसार कोयला लेने में असमर्थता के कारण, अपीलार्थी को काम करना पड़ा इसका संयंत्र एक उप- इष्टतम स्तर पर है जिसके परिणामस्वरूप निश्चित लागत आती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्पादन के 3 महीने के भीतर कोयले को उठाना अनिवार्य था ताकि स्वतःस्फूर्त दहन को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयंत्र को कोई खतरा न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बावजूद, प्रतिवादी डिलीवरी लेने में विफल रहा।

5. 4. 2 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उक्त दावे को स्वीकार नहीं करके एक त्रुटि की है कि कोयला खनन सेवाओं के तहत एएमपीएल (उप- ठेकेदार) द्वारा नुकसान किया गया था।

लेखाकार का प्रमाण पत्र। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. एम. डी. ए. उप- ठेकेदार के रूप में ए. एम. पी. एल. की नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है और वास्तव में ऐसी किसी भी नियुक्ति को अपीलार्थी द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए ए. एम. पी. एल. ऐसा नहीं कर सकता है। सी. एम. डी. ए. का पूर्ण रूप से तीसरा पक्ष कहा जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि [2019] 8 एस. सी. आर.

इसलिए जब प्रत्यर्थी कोयले की निर्धारित मात्रा को उठाने में विफल रहता है और वित्त वर्ष के लिए कोयले की डिलीवरी लेने में देरी होती है, तो अपीलार्थी को आई. डी. 1 करोड़ की सीमा तक नुकसान उठाना पड़ता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने उक्त दावे को अस्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है।

5. 5 अब जहाँ तक दावा नहीं है। 3 ' एस्क्रो अकाउंट' शीर्षक के तहत, यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से कि उच्च न्यायालय ने गलती से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी एस्क्रो खाते में किए गए भुगतान के लिए अपीलार्थी के बिलों से कटौती करने का हकदार था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान एकमात्र मध्यस्थ उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खदानों को बंद करने का चरण नहीं आया था और इसलिए एस्क्रो खाते में भुगतान करने के लिए कटौती समय से पहले की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कटौती का मुद्दा 30 साल बीतने के बाद ही उठेगा। खनन संयंत्र के बंद होने के समय। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एस्क्रो खाते में राशि जमा करना कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कारण उत्पन्न हुआ था, जो सीएमडीए के निष्पादन के बाद था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कोयला मंत्रालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र पार्टियों को सी. एम. डी. ए. के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने दावा संख्या को अस्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। 3 . 5. 6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

6. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए जोर देकर कहा है कि तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों और यह पाए जाने पर कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अनुमत दावे, सी. एम. डी. ए. के प्रासंगिक खंडों के बिल्कुल विपरीत थे, उच्च न्यायालय विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को उलटने में उचित है, जिसकी पुष्टि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है। 6. 1 विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, विद्वान मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और/ या अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या नहीं कर सकता है, जो अनुबंध के प्रासंगिक खंडों को निरर्थक बना देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुरस्कार, पूरी तरह से खड़े होकर सी. एम. डी. ए. के स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन, भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, PARSA KENTE COLIERIES LTD. वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

प्रत्यर्थी के अनुसार, "प्रारंभ तिथि" के संबंध में, केवल एक ही संभावित व्याख्या थी जिसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि व्याख्या जिसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा बरकरार रखा गया है, इसके समर्थन में किसी भी तर्क से रहित होने के अलावा, सी. एम. डी. ए. की शर्तों और पक्षों के आचरण के साथ पूरी तरह से असंगत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी पुरस्कार, सी. एम. डी. ए. के स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में खड़ा होकर, भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है और इसलिए इसे अलग किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरस्कार को सही ढंग से रद्द कर दिया है। अपनी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने ओ. एन. जी. सी. बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705 में रिपोर्ट किया गया; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। दोस्त।

कोयला कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445 और एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. ने (2015) 3 एस. सी. सी. 49 में रिपोर्ट किया। 6. 2 अब जहाँ तक दावा नहीं है। 1, अर्थात्, मूल्य वृद्धि का संबंध है, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है।

कि "प्रारंभ तिथि" शब्द को समझौते में वही अर्थ रखने के लिए परिभाषित किया गया है जो खंड 4. 5 में दिया गया है। 1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 4. 5 के अनुसार। 3 शुरू होने की तारीख अनुबंध का सार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. एम. डी. ए. के प्रासंगिक खंडों के अनुसार, प्रारंभ की तारीख बढ़ाने योग्य थी और वास्तव में आपसी समझौते के साथ इसे 25. 03. 2013 तक बढ़ा दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "प्रारंभ तिथि" शब्द को उस तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है जिस दिन कोयले की वास्तविक आपूर्ति शुरू होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, कोयले की आपूर्ति की तारीख 25. 03. 2013 है, और इसलिए, अपीलार्थी प्रारंभ की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद ही कीमत में वृद्धि का हकदार होगा, अर्थात 25. 03. 2013। **यह है।** सी. एम. डी. ए. के तहत प्रस्तुत, अपीलकर्ता प्रत्येक परिचालन वर्ष में मूल्य वृद्धि का हकदार है बशर्ते कि पहली वृद्धि प्रारंभ की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद ही होगी, अर्थात 25. 03. 2013। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार मूल्य में कोई भी वृद्धि कोयले की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से जुड़ी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोयले की आपूर्ति 25. 06. 2011 पर योजना के अनुसार शुरू की जाती है, तो पहला परिचालन वर्ष 25. 06. 2011 से 31. 03. 2012 होता। हालाँकि, चूंकि कोयले की आपूर्ति केवल 25. 03. 2013 पर शुरू हुई थी, इसलिए पहला परिचालन वर्ष 25. 03. 2013 से 31. 03. 2013 होना चाहिए था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब [2019] 8 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुरुआत की तारीख 25. 06. 2011 है, पहली मूल्य वृद्धि एफ. वाई. 2013- 14 के लिए लागू होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि शुरुआत की तारीख को 25. 03. 2013 माना जाता है (जिसे वास्तव में आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया गया था), पहली मूल्य वृद्धि वित्त वर्ष में होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह खंड 5. 4 से स्पष्ट है। 3 सी. एम. डी. ए. ने कहा कि कोयले की आपूर्ति शुरू होने के बाद ही कीमत में वृद्धि की जानी थी और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कोयले की वास्तविक आपूर्ति 25. 03. 2013 पर शुरू हुई थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई एफ. वाई. 2013- 14 के लिए मूल्य वृद्धि का प्रश्न। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार सी. एम. डी. ए. के प्रासंगिक खंडों के बिल्कुल विपरीत था और इसलिए यह सही निर्धारित किया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा एक तरफ।

6. 3 भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रतिवादी ने निर्धारित मात्रा की पूरी मात्रा को उठा लिया था। और इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ और वास्तव में अपीलकर्ता कोयले को उठाने में देरी और/ या कोयले की नुकसान की मात्रा को उठाने में देरी के कारण वास्तविक नुकसान के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा। उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही ढंग से दरकिनार कर दिया गया है। 6. 4 प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह उच्च न्यायालय ने "एस्क्रो अकाउंट" के संबंध में दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। यह है।

प्रस्तुत किया कि कोयला मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार "एस्क्रो खाता" खोलने की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, अपीलार्थी ने एस्क्रो खाता खोलने के लिए सहमति दी थी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार खोला जाना आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वास्तव में अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की कि पैसे को उसके चालू बिलों से एस्क्रो खाते में जमा करने के लिए वसूल किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी खंड 3. 2 के अनुरूप है। 1 सीएमडीए से। यह इसलिए प्रस्तुत किया जाता है उच्च अदालत ने एस्क्रो खाते में किए गए उक्त दावे को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है। 6. 5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है लंबाई में। 8. प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत इसकी शक्तियों ने PARSA KENTE COLIERIES LTD को अलग कर दिया है।

वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का प्रभाग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार में हस्तक्षेप करना उचित है, जिसकी पुष्टि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा की गई है? 9. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पर विचार करते समय इस न्यायालय के कुछ निर्णयों और अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता पर घोषित कानून पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

9. 1 एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विस्तार से विचार करने का अवसर था मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार के साथ। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की शक्ति की सीमाओं पर विचार किया है। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल तभी जब पुरस्कार भारत में सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में हो, न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए उचित होगा। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने "भारत में सार्वजनिक नीति" के विभिन्न शीर्षों पर विचार किया, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ पेटेंट अवैधता भी शामिल है। मध्यस्थता की धारा 28 (3) को संदर्भित करने के बाद मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. v. के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद कार्य करें। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 181 (पैरा 112- 113) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम। दीवान चंद राम सरन, (2012) 5 एस. सी. सी. 303 (पैरा 43- 45) में प्रतिवेदित, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं

होगा कि पुरस्कार को इस आधार पर अलग किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के लिए निर्णय लेने के लिए है जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त में आगे देखा गया है।

पैराग्राफ 33 में निर्णय दिया गया है कि जब कोई अदालत मध्यस्थता पुरस्कार के लिए "सार्वजनिक नीति" परीक्षण को लागू कर रही है, तो यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है और परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से पारित करना होगा क्योंकि मध्यस्थ [2019] 8 एस. सी. आर. पर भरोसा करने के लिए साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अंतिम स्वामी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब वह अपना मध्यस्थता पुरस्कार देता है। यह आगे देखा गया है कि इस प्रकार कम साक्ष्य या साक्ष्य के आधार पर एक पुरस्कार जो एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग के लिए गुणवत्ता में माप नहीं करता है, इस पर अमान्य नहीं माना जाएगा। अंक प्राप्त करें।

9. 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम के मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। आई. टी. डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, (2015) 14 एस. सी. सी. 21 (पैरा 25) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड v. गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, (2009) 10 एस. सी. सी. 63 (पैरा 29) में रिपोर्ट किया गया। 10. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपनी शर्तों को पार कर लिया है। उसके समक्ष आक्षेपित माध्यस्थम अधिनिर्णय को अपास्त करने की अधिकारिता। 11. सुविधा के लिए, हम विवादित निर्णय से निपटेंगे। और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दावा- बुद्धिमान है। पहला दावा "मूल्य समायोजन/ वृद्धि" के संबंध में है; दूसरा दावा "निश्चित लागत" के संबंध में है और तीसरा दावा "एस्क्रो खाते" के संबंध में है।

11. 1 अब जहाँ तक "मूल्य समायोजन/ के संबंध में दावा है" "वृद्धि" का संबंध है, विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 5 के प्रयोजनों के लिए पहले परिचालन वर्ष के प्रारंभ की तारीख। 2 5. 4 के साथ पढ़ें। 3 25. 06. 2011 होगा और इसलिए शून्य वर्ष के लिए मूल्य वृद्धि का उद्देश्य 2011- 12 होना चाहिए। तदनुसार, विद्वान मध्यस्थ ने एफ. वाई. 2013- 14 में बढ़ी हुई कीमत Rs. 895/ - प्रति एम. टी. पर विचार किया। हालाँकि, प्रत्यर्थी के अनुसार, चूंकि शुरुआत की तारीख को 25. 06. 2011 से 25. 03. 2013 में बदल दिया गया था, इसलिए मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से शून्य वर्ष 2013- 14 होगा। यह आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह विवाद में नहीं है कि अनुबंध/ समझौते के तहत ही मूल्य वृद्धि की अनुमति है और समझौते में उल्लिखित सूत्रों के अनुसार हर साल मूल्य वृद्धि होगी, जो शुरुआत की तारीख से शुरू होगी। हालाँकि, यह सच है कि प्रारंभ की प्रारंभिक तिथि, यानी 25. 06. 2011 को आपसी समझौते द्वारा 25. 03. 2013 तक बढ़ाया गया था। हालाँकि, ऐसा ही एक आकस्मिक घटना के कारण हुआ क्योंकि वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में 21 महीने की देरी हुई थी। यह

कीमत वर्ष 2007- 08 में उद्धृत की गई थी, जो 2011 से लागू है। हालांकि, वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी हुई और इसलिए तारीख

आपूर्ति की शुरुआत बदल गई। बीच- बीच में श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क आदि में वृद्धि होगी। हालांकि तारीख PARSA KENTE COLIERIES LTD है। **वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]** आपूर्ति की शुरुआत को बढ़ाया गया था, मूल्य वृद्धि के संबंध में समझौते के प्रासंगिक खंडों में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया था। कोई विशिष्ट समझौता नहीं था कि वर्ष में 2013 , अपीलार्थी बिना किसी मूल्य वृद्धि के समान मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करेगा। इसलिए, समग्र तथ्यों पर विचार करते हुए और मामले की परिस्थितियों और ठोस कारण देकर, विद्वान मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या की और विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि खंड 5 के प्रयोजनों के लिए पहले संचालन वर्ष के प्रारंभ की तारीख। 2 5. 4 के साथ पढ़ें। 3 25. 06. 2011 होगा और तदनुसार मूल्य वृद्धि के उद्देश्य से शून्य वर्ष होगा 2011- 12 और इसलिए अपीलार्थी उस बढ़ी हुई राशि का हकदार होगा जो वर्ष 2013- 14 (मूल्य वृद्धि) में लागू होती है। विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा व्याख्या संभव के साथ- साथ प्रशंसनीय भी थी। इसलिए, केवल इसलिए कि कुछ अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, उच्च न्यायालय मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है जो जैसा कि देखा गया था कि संभव और प्रशंसनीय था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से विद्वत मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय में दावा नहीं किया गया है। 1 सार्वजनिक नीति के खिलाफ था, सम्मान के साथ, हम सार्वजनिक नीति का कोई तत्व नहीं देखते हैं। यह समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या का शुद्ध और सरल मामला था जिसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा विद्वत मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द करने और खारिज करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश। 1 - मूल्य समायोजन/ वृद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द करके अलग रखा जाना चाहिए। 11. 2 अब जहाँ तक दावा नहीं है। 2 – " निश्चित लागत " और विद्वान मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई Rs. 78 करोड़ की राशि नुकसान के मुआवजे का संबंध है, रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को सही ढंग से खारिज कर दिया है। 2 . सीए के प्रमाण पत्र के अलावा, वास्तविक नुकसान के संबंध में कोई और सबूत नहीं दिया गया था। अभिलेख पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह [2019] 8 एस. सी. आर. है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके विपरीत यह पाया गया कि संबंधित वर्ष में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए कोयले की मात्रा निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक थी। इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ द्वारा न के दावे के संबंध में पारित पुरस्कार। 2 यह अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया है। 11. 3 इसी तरह, न के दावे के संबंध में भी। 3 - " एस्क्रो अकाउंट " का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पारित पुरस्कार में सही हस्तक्षेप किया है विद्वान मध्यस्थ द्वारा दावा संख्या के संबंध में। 3 . यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एस्क्रो खाता खोलने की आवश्यकता थी खदान बंद करने के संयंत्र की तैयारी के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देश। खनन कंपनी को किसी भी अनुसूचित बैंक में एस्क्रो खाता खोलने के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने एक एस्क्रो खाता खोला और एक एस्क्रो समझौते को निष्पादित

किया। पक्षकारों के बीच पत्राचार से, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने भी एस्क्रो खोलने के लिए सहमति दी थी खाता। अपीलार्थी ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि एस्क्रो खाते में जमा की जाने वाली राशि प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी- पी. के. सी. एल. के कोयला बिलों के तत्काल अगले भुगतान से वसूल की जाएगी जो अपीलार्थी के कोयला ब्लॉकों से कोयले के प्रेषण के लिए जुटाई गई थी। इस प्रकार, इसके बाद अपीलार्थी के लिए एस्क्रो खाते में पड़ी राशि का दावा करने की गुंजाइश नहीं थी। यदि एस्क्रो खाते में रखी राशि अपीलार्थी को वापस कर दी जाती है, तो एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य जो कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार था, वह होगा - हताश हो जाते हैं। एस्क्रो खाता खोलने का उद्देश्य और उद्देश्य यह देखना था कि अपीलकर्ता कंपनी समझौते के अनुसार और कोयला ब्लॉकों के बंद होने तक अनुबंध को पूरा करती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने ना के दावे के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है। 3 - यह देखते हुए कि तर्क विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति अभिलेख पर सामग्री/ साक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता था। हम पूरी तरह से सहमत हैं।

उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ। 12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जहाँ तक कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द करने और रद्द करने के रूप में, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, जहाँ तक कि दावा सं। 1 – मूल्य समायोजन/ वृद्धि को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और विद्वत मध्यस्थ द्वारा दावा संख्या के संबंध में निर्णय पारित किया जाता है। 1 इसके द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है।

पी. ए. आर. एस. ए. केंट कोलियरीज लिमिटेड वी. राजस्थान राज्य विद्युत केंद्र निगम लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.] उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ए विद्वत मध्यस्थ द्वारा बाकी दावों के संबंध में पारित पुरस्कार को रद्द करने और अलग करने के रूप में, अर्थात्, दावा नहीं। 2 - निश्चित लागत और दावा सं। 3 - एस्क्रो खाते की पुष्टि की जाती है। वर्तमान अपील की आंशिक रूप से केवल उपरोक्त सीमा तक ही अनुमति है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
निधि जैन